(133)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

Am-531-II-16

निगरानी प्रकरण कमांक................/16

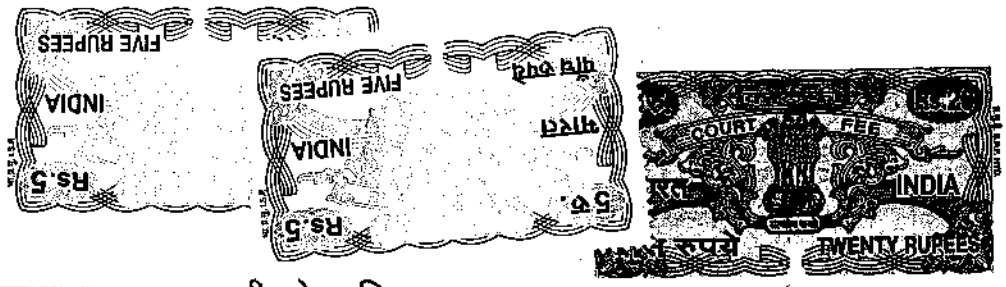

मृतक रामकृष्ण खत्री के वारिसानः-

1. श्रीकृष्ण मेहरोत्रा पिता स्व0 रामकृष्ण खत्री निवासी बरही जिला कटनी म0प्र0
2. आदर्श महेन्द्रा पिता स्व0 रामकृष्ण खत्री निवासी अचाहार रायबरेली उ0प्र0

---आवेदकगण

विरुद्ध

1. म0प्र0 राज्य
2. जुगुकिशोर कनौडिया तनय स्व0 राधाकृष्ण कनौडिया निवासी जय स्तंभ चौक ढेकहा रीवा तहसील हुजूरर जिला रीवा म0प्र0
3. नानकराम
4. घनश्यामदास
5. जवाहरलाल
6. सुश्री इश्वरी देवी

सभी के पिता गोपालदास खत्री सभी निवासी पुराना बस स्टैण्ड तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

--अनावेदकगण

निगरापनी विरुद्ध आदेश अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा म0प्र0 के राजस्व प्रकरण कमांक 371/अपील/2008-09 आदेश दिनांक 10.02.2016 को पारित।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता।

Xxxix(a)-BR(H)-11 **राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर**

श्रीकृष्ण निवासी बरही एंव अन्य एक विरूद्ध म0प्र0राज्य

प्रकरण कमांक 531 – दो/ 2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षक अभि. हस्ता
19-2-2016	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 371/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-2-16 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने। अनावेदक कमांक 2 से 6 तरतींवी पक्षकार है जिन्हें सुने जाने अथवा व्यक्तिगत सूचना देने का औचित्य न होना आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया। 3/ प्रकरण की स्थिति यह है कि आवेदकगण के स्वर्गीय पिता रामकृष्ण खत्री ने मान0उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट पिटीशन कमांक 3327/2009 प्रस्तुत की , जिस पर माननीय उच्च न्यायालय व्दारा आदेश दिनांक 1-4-2009 से निर्देश दिये कि पिटीशनकर्ता व्दारा प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार 30 दिव में निर्णय लेवें। तहसीलदार हुजूर ने प्रकरण कमांक 8/-6-अ/ 2007-08 में पारित आदेश दिनांक 18-10-2007 से ग्राम ढेकहा की भूमि सर्वे नंबर 200 रकबा 0.88 ए. को मध्यप्रदेश शासन की रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय लिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण के स्वर्गीय पिता रामकृष्ण खत्री ने अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष अपील कमांक 26/अ-6-अ/2007-08 प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 19-5-08 से तहसीलदार का आदेश निरस्त किया तथा ग्राम ढेकहा की भूमि सर्वे नंबर 200 रकबा 0.88 ए (0.356 हैक्टर) पूर्ववत् रामकृष्ण खत्री के नाम दर्ज करने का आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्ध म0प्र0शासन की ओर से प्रभारी अधिकारी तहसीलदार हुजूर रीवा ने अपर आयुक्त, रीवा	

संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 371/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 10-2-2016 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 19-5-08 निरस्त किया एंव कलेक्टर रीवा को निर्देश दिये कि वह शासकीय भूमि अवैध तरीके से निजी हाथों में सौंपने से शासन को क्षति तो नहीं हुई है भूमि शासकीय हित में पुनः शासकीय करने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करें। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी की गई है।

4/ उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि प्रकरण में विचाराधीन भूमि सर्वे नंबर 200 है जिसका पुराना सर्वे नंबर 197 रकबा 0.88 डिस0 होकर ग्राम ढेकहा तहसील हुजूर में स्थित है जो शासकीय अभिलेख में भूमिस्वामी के नाम दर्ज चले आने का तथ्य आया है परन्तु नवीन राजस्व अभिलेख तैयार करते समय यह भूमि शासकीय दर्ज कर दी गई। इस त्रृटि के सुधार हेतु अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण कमांक 22 अ-74/1985-86 चलने एंव त्रृटि सुधार का आदेश होने का तथ्य भी है और इस प्रकरण में हुये आदेश के वाद खसरे में प्रविष्टि सुधारी गई है। अनुविभागीय अधिकारी ने माना है कि उक्त प्रकरण में दिये गये आदेश के विरूद्ध किसी भी पक्षकार ने सक्षम न्यायालय में अपील नहीं की है जिसके कारण यह आदेश अंतिमता लिये है और प्राड.न्याय (Res-judicata) का रूप लिये है इसके वाद भी तहसीलदार व्दारा प्रकरण कमांक 8/-6-अ/ 2007-08 में पारित आदेश दिनांक 18-10-2007 से वादग्रस्त भूमि को पुनः शासकीय दर्ज करने का आदेश देना प्राड.न्याय (Res-judicata) का उल्लॅघन है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने अपील कमांक 26/अ-6-अ/ 2007-08 में पारित आदेश दिनांक 19-5-08 से तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया है परन्तु अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 371/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-2-16 में उक्त तथ्यों का पुष्टिकरण न करते/कराते हुये भूमिस्वामी की भूमि को शासकीय मानकर कलेक्टर को शासकीय दर्ज करने का कार्यवाही करने के निर्देश देने में भूल की है क्योंकि खसरा सॅशोधन के अधिकार कलेक्टर को नहीं है अपितु

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

श्रीकृष्ण निवासी बरही एंव अन्य एक विरूद्ध म0प्र0राज्य

प्रकरण कमांक 531 – दो/ 2016 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश
	म0प्र0भू राजस्व सँहिता,1959 की धारा 115 सहपठित 116 के अंतर्गत तद्नुसार कार्यवाही हेतु तहसीलदार ही सक्षम हैं एंव बंदोवस्त की अभिलेखीय लिपिकीय त्रृटि सुधारने हेतु अनुविभागीय अधिकारी सक्षम हैं।
	5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 371/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-2-16 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव अनुविभागीय अधिकारी हुजूर व्दारा अपील कमांक 26/अ-6-अ/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 19-5-08 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।
	सदस्य